



युक्ति



(गाँधी जयंती के अवसर पर आयोजित एक दिवसीय वेब संगोष्ठी की सम्पूर्ण रिपोर्ट)

02 अक्टूबर, 2021

राजकीय डिग्री महाविद्यालय,

बगहा (बड़गांव),

(बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर की राजकीय इकाई)

द्वारा प्रकाशित

गाँधी और ग्राम स्वराज

(ग्राम पंचायत-राज-व्यवस्था की भूमिका एवं महत्व के विशेष सन्दर्भ में)



प्रजातान्त्रिक विकेंद्रीकरण के प्रति गाँधी की अटूट आस्था का मुख्य कारण है - सत्य, अहिंसा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति उनका अकाट्य विश्वास।

प्रो० (डॉ) आर.के.चौधरी

(अध्यक्ष)

प्राचार्य की कलम से

शिक्षा किसी भी समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नयन का सशक्त माध्यम होती है। तभी तो हमारे उपनिषदों में लिखा है – नास्ति विद्या समं चक्षुः, अर्थात् विद्या के समान कोई दूसरी आँख नहीं है। वास्तव में विद्या से ही हमें संसार को देखने-समझने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। शिक्षा के वगैर मानवीय संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट प्रबंधन संपन्न नहीं हो पाता है और विकास के सर्वोच्च पायदान तक पहुँचने के लिए बेहतर प्रबंधन एक पूर्व शर्त होती है। दुनिया के विकसित राष्ट्रों के इतिहास पर जब दृष्टिपात करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि उनकी विकास-गाथा वहाँ के बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन और उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संभव हो पाया है। उदहारण के तौर पर भारत को सोने की चिड़ियाँ और विश्व-गुरु होने का गौरव तत्कालीन विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों, जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा (राजगीर), विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर आदि के कारण था।



उच्च शैक्षणिक संस्थानों की कमी को पूरा करने एवं समग्र नामांकन दर में त्वरित वृद्धि के उद्देश्य से बिहार सरकार ने राज्य के वैसे अनुमंडल, जहाँ उच्च शैक्षणिक संस्थान नहीं थे, में एक-एक राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। हमारा यह विद्यालय उन्ही निर्णयों के आलोक में स्थापित एक डिग्री महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान, एवं वाणिज्य संकाय में सत्र 2019-20 से नामांकन प्रारंभ हुआ है।

बिहार सरकार निश्चित रूप से सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयास में उच्च शिक्षा के चतुर्दिक महत्व को रेखांकित करते हुए सुदूर देहाती क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के प्रयास के मद्देनजर शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 15/M-1-121/2017-2058 दिनांक 19-11-2018 के द्वारा बगहा अनुमंडल में राजकीय डिग्री महाविद्यालय, बगहा, छोटकी पट्टी, बड़गांव की स्थापना और संचालन का निर्णय लिया। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा सामान्य डिग्री महाविद्यालय की स्थापना सरकार की उत्कृष्ट सोच एवं सकारात्मक पहल को प्रदर्शित करती है। किन्तु केवल डिग्री महाविद्यालय की स्थापना मात्र से जन-जन तक उच्च शिक्षा पहुँचाने का संकल्प पूरा नहीं हो पायेगा। महाविद्यालय की स्थापना के साथ-साथ सभी आवश्यक उपस्करों की प्रयाप्त आपूर्ति, योग्य अनुभवी और सक्षम प्राध्यापकों एवं कर्मठ और समर्पित शिक्षकेत्तर कर्मियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति भी आवश्यक है।

यह महाविद्यालय बिहार से इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि एवं गाँधी की कर्मभूमि पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडल के बड़गांव पंचायत में स्थित है। महाविद्यालय की स्थापना से इस क्षेत्र के युवाओं में उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षण हो रहा है। क्षेत्र के युवाओं की उच्च आकांक्षाओं एवं प्रतिस्पर्धा को देखते हुए विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय के विभिन्न विषय में स्नातक प्रतिष्ठा की पढाई की मान्यता प्राप्त है। यद्यपि यह महाविद्यालय नवस्थापना से सम्बंधित विविध आधारभूत संरचनाओं की समस्याओं से जूझ रहा है। फिर भी, हम महाविद्यालय के प्राध्यापक बंधुओं एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के अथक प्रयास, सत्तत श्रम एवं महाविद्यालय विकास के प्रति उतकट अभिलाषा एवं तत्पर समर्पण के बल पर सभी बाधाओं को नजरअंदाज कर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

प्रो० (डॉ) रवीन्द्र कुमार चौधरी
प्राचार्य(प्रभारी)



गाँधी जयंती

के पावन अवसर पर
2 अक्टूबर, 2021 को



राजकीय डिग्री महाविद्यालय

बगहा (बड़गांव), पश्चिम चंपारण
(बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर की राजकीय इकाई)
द्वारा



गाँधी और ग्राम स्वराज

(पंचायत के महत्व एवं भूमिका के विशेष सन्दर्भ में)

विषय पर वेब संगोष्ठी का
आयोजन किया जा रहा है ।

समय : 04-06 P.M



[CLICK HERE
TO RESISTER](#)

[CLICK HERE TO
JOIN MEETING](#)




“गाँधी और ग्राम स्वराज” विषय पर विमर्श के लिए आयोजित कार्यक्रम का विवरण निम्नांकित है :-

1. अतिथि परिचय व स्वागत भाषण -	डॉ रेखा श्रीवास्तव (आयोजन सचिव)	4:0 से 4:10 बजे
2. विषय प्रवेश -	डॉ रमेश सिंह (अध्यक्ष समाजशास्त्र)	4:10 से 4:25 बजे
3. विशिष्ट अतिथि का भाषण -	प्रो. परमानन्द सिंह	4:25 से 5:0 बजे
4. मुख्य अतिथि का भाषण -	प्रो. डॉ अनिल दत्त मिश्रा	5:0 से 5:45 बजे
5. अध्यक्षीय उद्बोधन -	प्रो. डॉ आर. के. चौधरी	5:45 से 5:55 बजे
6. धन्यवाद ज्ञापन -	श्री नेहाल अहमद	5:55 से 6:10 बजे
7. राष्ट्र गान -		6:10 से 6:12 बजे



PATRON IN CHIEF

*Prof. Hanuman Prasad Pandey
Hon'ble Vice Chancellor
B. R. A. Bihar University
Muzaffarpur*



CHIEF GUEST CUM CHIEF SPEAKER

*Prof. (Dr.) Anil Dutt Mishra
Distinguished Gandhian Thinker
Editor :- Sulabh India*



SPEAKER

*Prof. P. N. Singh
Ex. HOD Cum Director,
Gandhian Study Centre,
T. M Bhagalpur University*



CHAIRMAN

*Prof. (Dr.) R.K. Choudhary
Principal (Incharge)
Govt. Degree College, Bagaha
Bargaon, W. Champaram*



ORGANIZING SECRETARY

*Dr. Rekha Srivastava
HOD, Department of Psychology
Govt. Degree College, Bagaha
Bargaon, W. Champaram*

Yours,

Dr. Rekha Srivastava,
Organizing Secretary

विषय सूची

✓ आयोजन समिति	6
✓ प्राक्कथन	7
✓ स्वागत-भाषण	8
✓ विषय-प्रवेश	9
✓ विशिष्ट अतिथि प्रो० परमानन्द सिंह के विचार के मुख्य अंश	11
✓ मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता प्रो० (डॉ) अनिल दत्त मिश्रा के अभिभाषण के मुख्य अंश	12
✓ अध्यक्षीय उद्बोधन	14
✓ महात्मा गाँधी के प्रमुख कथन	20

आयोजन समिति

- 1) प्रो० (डॉ) हनुमान प्रसाद पाण्डेय, **मुख्य संरक्षक**,
माननीय कुलपति बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर ।
- 2) प्रो० (डॉ) रवीन्द्र कुमार चौधरी, प्राचार्य (प्रभारी), **अध्यक्षता**,
राजकीय डिग्री महाविद्यालय, बगहा(बड़गांव), पश्चिम चंपारण ।
- 3) प्रो० (डॉ) अनिल दत्त मिश्रा, **मुख्य वक्ता**,
गाँधीयन स्कॉलर एवं लेखक ।
- 4) प्रो० (डॉ) परमानंद सिंह, **विशिष्ट वक्ता**,
पूर्व निदेशक, गांधीयन अध्ययन केंद्र, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर ।
- 5) डॉ रेखा श्रीवास्तव, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, **आयोजन सचिव**,
- 6) मि० उज्ज्वल कुमार वर्मा, **तकनीकी सहायक** ।

महाविद्यालय परिवार

- ❖ डॉ रेखा श्रीवास्तव (विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग)
- ❖ अजय कुमार (विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग)
- ❖ डॉ संदीप कुमार सिंह (विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग)
- ❖ डॉ गजेन्द्र तिवारी, सहायक प्रो० (अतिथि, मनोविज्ञान विभाग)
- ❖ धर्मेश नंदा, सहायक प्रो० (अतिथि, भूगोल विभाग)
- ❖ डॉ रमेश सिंह सहायक प्रो० (अतिथि, समाजशास्त्र विभाग)
- ❖ नेहाल अहमद, सहायक प्रो० (अतिथि, भूगोल विभाग)
- ❖ डॉ राकेश सिंह, सहायक प्रो० (अतिथि, दर्शनशास्त्र विभाग)
- राजन तिवारी (कार्यालय सहायक)
- राहुल कुमार (कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर)
- बसंत कुमार (लेखापाल सह प्रयोगशाला सहायक)
- रुपेश मिश्रा (रात्रि प्रहरी)
- खेमराज कुमार (दिवा प्रहरी)
- नंदकिशोर वासफोड़ (सफाई कर्मचारी)

प्राक्कथन

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रबल पक्षधर थे | उनकी मान्यता थी कि सत्ता (या राजनीतिक) शक्ति के सकेन्द्रण से सत्य, अहिंसा स्वतंत्रता एवं सामाजिक सद्भाव व सौहार्द का हास होता है | मानवता प्रताड़ित और परेशान होती है | स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान भारत-भ्रमण के क्रम में उन्होंने जिस ग्राम्य जीवन का दर्शन किया था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिस प्रकार एक सूक्ष्म या लघु गणतंत्र के रूप में क्रियाशील थी | जहाँ समतामूलक समाज का सही अर्थों में निर्माण होता था | उस ग्राम्य-व्यवस्था से प्रभावित होकर आजादी के संघर्ष के दौरान ही ग्राम्य स्वराज में 'अपने सपनों के भारत' और 'सपनों के ग्राम स्वराज' की कल्पना में आजादी के पश्चात भारत में प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना कर 'ग्राम पंचायती-राज-व्यवस्था' के माध्यम से एक स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सपना देखा था |

75वें स्वतंत्रता-दिवस एवं गाँधी जयंती (2 अक्टूबर, 2021) के अवसर पर (जब बिहार में पंचायत चुनाव 2021 चल रहा है) "गाँधी के ग्राम स्वराज" 'पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका एवं महत्व' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया | विमर्शकर्ता के रूप में प्रो० (डॉ.) अनिल दत्त मिश्रा, पूर्व निदेशक, गाँधी अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली तथा प्रो० (डॉ.) परमानंद सिंह, पूर्व निदेशक, गाँधी अध्ययन केंद्र, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, को आमंत्रित किया गया | आमंत्रित अतिथियों के सुझाव एवं अन्य प्रतिभागियों के विचार को एक लिखित दस्तावेज के रूप में प्रकाशित करने का उद्देश्य - ग्राम पंचायत राज व्यवस्था को अधिक प्रभावपूर्ण एवं जन सामान्य के हितों में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित कराने की दिशा में एक मार्गदर्शिका के रूप में प्रयुक्त हो सकती है | यह पुस्तिका गाँधी-जयंती के अवसर पर किये गये विमर्श के प्रमुख बिंदुओं एवं सुझावों का एक लिखित दस्तावेज है, जो समाज, सरकार एवं पंचायती-राज-व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है |

प्रो० (डॉ.) रवीन्द्र कुमार चौधरी
प्राचार्य (प्रभारी)

स्वागत-भाषण

कार्यक्रम के प्रारंभ में मनोविज्ञान विभागाध्यक्षा डॉ० रेखा श्रीवास्तव ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा की आज गाँधी जयंती के पावन अवसर पर वाल्मीकि की तपोभूमि, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध और स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की कर्मभूमि चम्पारण के इस सुदूर ग्रामीण अंचल में स्थित राजकीय डिग्री महाविद्यालय, बगहा (बड़गांव), पश्चिम चम्पारण में आप सभी गाँधीवादी चिंतकों, विद्वानों, गाँधी के ग्राम स्वराज के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वाले समाजकर्मियों, शोधार्थियों एवं प्रिय छात्र-छात्राओं, आप सबों का हमारे इस नवस्थापित महाविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में स्वागत है।

स्वागत-भाषण के दौरान डॉ० श्रीवास्तव ने गाँधी के ग्राम स्वराज और ग्राम पंचायत व्यवस्था पर विमर्श की महत्ता पर चर्चा के क्रम में कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक देश है, जहाँ की कुल आबादी का आज, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी, लगभग 70 % आबादी गाँवों में निवास करती है। भारत के संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को आबादी, आकार और संसाधन के लिहाज से एक स्थाई व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। गाँधी, ग्राम-पंचायत की स्थापना के द्वारा हमारे देश में 'पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी' की स्थापना चाहते थे। आज के विमर्श में, जबकि बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, इस विषय पर विमर्श उपयुक्त एवं उपयोगी जान पड़ता है। उम्मीद है, आपलोगों के विमर्श से बिहार प्रान्त के पंचायती राज-व्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा।



गाँधी जी मानते थे कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर हैं और अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। उनका मानना था कि मनुष्यों और प्रकृति के बीच संतुलन को महत्व नहीं देने वाले तथाकथित विकास के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने प्रकृति की व्यवस्था बनाये रखने के महत्व पर जोर दिया। उसमें मनुष्य की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रकृति में जीवन की एक पूर्व निर्धारित व्यवस्था है। वर्षों से मनुष्य प्रकृति की इस व्यवस्था से छेड़छाड़ करता आया है; जिससे अत्यंत नुकसान हुआ है।

विषय-प्रवेश

विषय-प्रवेश कराते हुए डॉ रमेश सिंह, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र ने कहा -

मित्रो, मैं सर्वप्रथम गाँधी जी को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उनको शत-शत नमन करता हूँ। जैसे ही गाँधी जी का नाम हमारे जेहन में आता है, तो एक आकृति मन-मस्तिष्क में उभर आती है, हाथ में लाठी, धोती पहने और ओढ़े एक अर्धनग्न व्यक्ति। अक्सर यात्रा के दौरान गाँधीजी की चर्चा निकल आती है, तो आलोचकों की कमी नहीं रहती है। लेकिन मेरा मानना है कि गाँधीजी की आलोचना वही लोग करते हैं, जिन्होंने उनको पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है। वह सामान्य मनुष्य नहीं थे। इस देश को आजादी दिलाने के लिए स्वर्ग से आये एक देवदूत थे, ऐसा मेरा मानना है क्योंकि सामान्य मनुष्य एक दिन सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता है और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सत्य एवं अहिंसा पर व्यतीत किया, वह मानव नहीं महामानव थे।

सबसे सुखद बात यह है कि आज गाँधीजी की चर्चा हो रही है, उसी धरती पर जहाँ सर्वप्रथम उन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। इस धरा को भी मैं नमन करता हूँ। 15 अप्रैल 1917, जिस शाम गाँधीजी चंपारण के मोतिहारी पहुंचे, उन्हें जसौलपट्टी गाँव में एक पट्टेदार के साथ हुई बदसलूकी के बारे में पता चला। अगली सुबह वह उनसे मिलने चल दिये। लेकिन आधे रास्ते में ही उन्हें जिला मजिस्ट्रेट का सम्मन दिया गया, मैं आपको जिले से दूर रहने का आदेश देता हूँ। अगली ट्रेन से आप यहाँ से चले जायें। गाँधी जी ने मना कर दिया। 18 अप्रैल को उन्हें कोर्ट बुलाया गया। वे सारे आरोप मान लिये और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इनके बीच रहकर मैं इनकी अच्छी तरह से सेवा कर पाऊंगा। इस तरह से देश ने पहली बार सत्याग्रह की शक्ति का एहसास किया।

जहाँ तक गाँधी और ग्राम स्वराज की बात है, तो भारत गाँवों का देश है। इसकी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। दुनिया में अनेक संस्कृतियों के बीच भारतीय संस्कृति की अलग ही पहचान है। गाँव सामुदायिक जीवन का श्रेष्ठ उदाहरण है। वेदों में कहा गया है कि “विश्वं पुष्टे ग्रामे, अस्मिन् अनातुरम” अर्थात् मेरे गाँव में परिपुष्ट विश्व का दर्शन होना चाहिए। यह दर्शन बिना स्वराज नहीं हो सकता। महात्मा गाँधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा वैदिक विचारों का विस्तार है। गाँधी के समग्र चिंतन एवं दर्शन का केंद्र गाँव ही रहे हैं। स्वराज एक पवित्र एवं वैदिक शब्द है, जिसका अर्थ है आत्मशासन एवं आत्मसंयम।

गाँधीजी के अनुसार सच्चा स्वराज थोड़े लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से संभव नहीं होता है; क्योंकि इससे सत्ता का दुरुपयोग होता है। सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, गाँधी के सपनों के ग्राम स्वराज में इसी का प्रावधान किया गया है। उनके सपने को साकार करने लिए भारत में ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं को स्थानीय विकास तथा स्थानीय प्रशासन का मुख्य आधार बनाया गया है।

गाँधी जी ने स्वराज की कल्पना एक पवित्र अवधारण के सम्बन्ध में की थी, जिसके मूल तत्त्व है, आत्म-अनुशासन एवं आत्म-संयम। गाँधी जी का स्वराज गाँव में बसता था। वह ग्रामीण उद्योगों की दुर्दशा से चिंचित थे। एक ऐसे समय जब पूरा संसार बुनियादी वस्तुओं की खरीद के लिए संघर्ष कर रहा है, तब गाँधी जी का ग्राम स्वराज हमारा सही मार्गदर्शन कर सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में कोरोना संक्रमण के वैश्विक त्राशादी के दौर में ग्राम स्वराज की भूमिका अनुकरणीय है।

अतः गाँधी जी का ग्राम-स्वराज सच्चे अर्थों में भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में परिवर्तित कर सकता है | गाँधीजी राम-राज्य की कल्पना करते थे, यानि एक ऐसा राज्य जहाँ सत्य और अहिंसा का महत्व हो | कोई भूखा न सोये | मार्क्स भी समाजवाद चाहते थे | कभी-कभी दोनों में तुलना की जाती है | लेकिन गाँधी राम-राज्य पाने के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते है ; जबकि मार्क्स कहते हैं कि मेरा लक्ष्य उत्तम और सही है, तो मार्ग कोई भी अपना सकते हैं |

आजकल बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे है | पंचायती राज-सत्ता का विकेंद्रीकरण है- सत्ता केवल एक हाथ में न रहें | पंचायती राज-व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है | 73 वें संविधान संसोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली बनया गया | संविधान के भाग 9 में 9A जोड़ा गया | इस भाग में 16 नये अनुच्छेद और एक नयी अनुसूची जोड़ी गयी है | इस भाग में ग्रामों में पंचायतों के गठन उनके निर्वाचन शक्तियों और उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त उपबंध किये गए है | मुखिया का प्रत्याशी, ऐसा लगता है कि विधानसभा या लोक सभा का चुनाव लड़ रहा है | धन-बल, छल-बल का भरपूर उपयोग हो रहा है | इसके लिए कही-न-कही हमलोग भी जिम्मेदार है | पढ़े-लिखें लोग राजनीती से दूर होते चले गये और अपराधियों का बोल-बाला बढ़ता गया | ऐसी स्थिति में गाँधी के सपने के ग्राम स्वराज पर हमें सही अर्थों में विमर्श करना है |



गांधीजी मानते थे कि बड़े शहरों के बजाय छोटे गांवों में जीवन बेहतर है | इसलिए वे सभी को गांव में रहने की राय देते थे | वे बार-बार कहते थे कि भारत अपने गांवों में रहता है, उनका आशय यह था कि गांव भारत की आत्मा है और ग्रामीण जीवन ही आदर्श जीवन है |

गांधीजी ने एक ऐसे आदर्श गांव की कल्पना की थी, जिसमें परंपरागत किस्म की सफाई की बढ़िया व्यवस्था होती, जिसमें मनुष्यों और पशुओं के मलमूत्र से खाद बनाई जाती | पांच मील के दायरे में मिलने वाली सामग्रियों से बनी कुटियाओं में हवा और रोशनी का इंतजाम होता | कुटिया के आंगन में गृहस्थ सागभाजी उगाते और मवेशियों को बांधते |

विशिष्ट अतिथि प्रो० परमानन्द सिंह के विचार के मुख्य अंश

“गाँधी का ग्राम स्वराज” केवल राजनीतिक रूप से सत्ता-परिवर्तन का एक सफल प्रयास नहीं बल्कि समतामूलक समाज निर्माण का एक बड़ा प्रयास था | ‘यंग इंडिया’ के मार्च 1929 और 1925 का जिक्र करते हुए गाँधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक शक्तियों का समावेश ना हो, तो वह लोक-कल्याण का नहीं बल्कि लोक-दुर्गति का शासन बन जाती है |

‘स्वराज’ जनता में यह विश्वास पैदा कर स्थापित किया जा सकता है कि उसमे सत्ता के दायित्व निर्वाहन की क्षमता है | जुलाई 1921 के ‘यंग इंडिया’ के अंक में बापू ने कहा था, मेरे सपनों के ग्राम-स्वराज’ में जाति, धर्म, संप्रदाय, शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर के बीच कोई भेद नहीं किया जाता | पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए 05/03/1931 को गाँधी ने कहा था कि जो व्यवस्था राजा के लिए होगी, वही व्यवस्था गरीब लोगों के लिए भी की जाएगी | ग्राम स्वराज में “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निराभ्याः” की उक्ति चरितार्थ होती है | अर्थात् गाँधी के ग्राम स्वराज में एक भयमुक्त और शोषण मुक्त स्वशासन की व्यवस्था कर पूर्णरूपेण आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, स्वायत्त और सक्षम ग्राम के निर्माण का सपना था | गाँधी गाँव के विकास से सम्पूर्ण भारत के विकास का रास्ता प्रशस्त करने का स्वप्न देखते थे | तभी तो उन्होंने अपने भाषण में हमेशा जोर देकर कहा कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है | गाँव को विकसित और संपन्न बनाये बगैर, भारत को समृद्ध और संपन्न बनाना संभव नहीं हो सकेगा | गाँवों की संपन्नता के लिए गाँधी ने अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से गाँव में शिक्षक, अभियंता, चिकित्सक, कलाकार, गायक, शिल्पकार आदि अन्य अनेक प्रकार के निपुण व कुशल लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था के साथ-साथ गाँव में वैज्ञानिक तकनीकी विशेषज्ञ, कृषि औजार, सूचना केंद्र, पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजन के साधन, खेल के मैदान, चारागाह, कृषि विपणन केंद्र, स्थानीय बाजार आदि की भी व्यवस्था पर जोर दिया | अर्थात् स्वतंत्र, स्वावलंबी, स्वायत्त व आत्मनिर्भर ग्राम स्वराज्य स्थापना कैसे संभव होगा, उन सभी तत्वों पर विशेष ध्यान दिया | किंतु आजादी के पश्चात विकास के जिस मॉडल को अपनाया गया, वह गाँधी के सपनों के भारत से कोसों दूर है | प्रो० सिंह ने J M Keynes 1949 में प्रो० John Robinson से विकासशील देशों के विकास मॉडल पर पूछा था कि दुनिया का विकास-पथ पर किस दिशा में जा रही है ? विकास का उद्देश्य क्या है ? तो उनका जवाब देते हुए प्रो० John Robinson ने कहा था कि “Road to Development is the Road to Serfdom” | कृषिदासता की ओर निरुद्देश्य धावक की तरह क्रियाशील है |

अंत में प्रो. सिंह ने कृषि कानून का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार भारत की कृषि-व्यवस्था को ध्वस्त कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहती है | पिछले 11 महीनों से देश के अन्नदाता सड़कों पर संघर्षरत हैं और सरकार बेपरवाह होकर बैठी है | यह जिद्द न तो किसान, न किसानी और न ही हमारी अर्थव्यवस्था के हित में है | सरकार को सार्थक पहलकर इस गतिरोध का सफल समाधान का प्रयास करना चाहिए |

शिक्षा में इतनी क्रांति लानी चाहिए कि वह साम्राज्यवादी शोषकों की जरूरतें पूरी करने के बजाय गाँव के सबसे गरीब लोगों की जरूरतें पूरी करें |

मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता प्रो० (डॉ) अनिल दत्त मिश्रा के अभिभाषण के मुख्य अंश

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की पावन जयंती के अवसर पर महाविद्यालय परिवार द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी के मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता प्रो० (डॉ.) अनिल दत्त मिश्रा ने अत्यंत दुःखी मन से अपनी बात प्रारम्भ करते हुए कहा कि आजादी के पश्चात 30 जनवरी, 1948 की नृशंस घटना किसी सभ्य समाज के लिए अत्यंत निदनीय और और असंवेदनशील घटना थी | वैश्विक समुदाय ने शायद उससे पूर्व किसी मानवता के पुजारी का इतनी निर्ममता और निष्ठुरता के साथ वध होते नहीं देखा होगा | उससे भी दुखद और व्यथित करने की बात यह है कि भारतीय समाज और आजाद भारत की सरकारों ने गाँधी का त्याग कर दिया है | गाँधी आज एक महज औपचारिकता का विषय वस्तु बन कर रह गये हैं |

उनका कहना था की गाँधी ने कभी भी Dualism में विश्वास नहीं किया | उनकी मान्यता थी कि सत्य एक ही होता है | लेकिन आज के गाँधीवादी, गाँधी के सिद्धांतों को अपनाने का स्वांग तो करते हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति को अपनाने में पीछे भी नहीं रहते हैं | अपने बच्चों को आधुनिकता से जोड़ने के उद्देश्य से विदेशों में बढाते हैं | गाँधी जी के पौत्र गोपाल कृष्ण गाँधी रचित “Last 200 Days of Gandhi” और “The Hindu” द्वारा प्रकाशित पुस्तक की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 1960 के दशक में देश के सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दुनिया के मानकों पर खड़ा उतरते थे, लेकिन आज बिहार ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का सर्वथा अभाव हो गया है |

21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहने के पश्चात गाँधी जब भारत वापस आये, तो उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि –

१) भारत को आजाद कैसे किया जाय

२) ब्रितानी हुकुमत द्वारा शोषित भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित और विकसित कैसे किया जाय |

भारत की स्वतंत्रता संग्राम तो लम्बी प्रक्रिया है, लेकिन घबस्त अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बापू ने ‘खादी मिशन’ की शुरुआत की जिसके मूल में चरखा को रखकर “चरखा का अर्थशास्त्र” लागू किया | चरखा में आठ तिल्लियों को आठ प्रहर के रूप में परिभाषित कर उन्होंने स्पष्ट किया की मनुष्य यदि आठों प्रहर क्रियाशील और तत्पर रहें तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है | किन्तु जिस चरखा के अर्थशास्त्र से उन्होंने सम्पूर्ण भारत में कार्य संस्कृति का संचार करने का एक बड़ा प्रयास किया था | किन्तु आजाद भारत में चरखा को संग्रहालयों की वस्तु बनाकर रख दिया गया | जिससे गाँधी भारतीय जनमानस में कार्य के प्रति आकर्षण पैदा कर आत्मसम्मान और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाने का कार्य किया | आज वह चरखा संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहा है |

गाँधी के सात पापों का जिक्र करते हुए प्रो० मिश्र ने कहा कि वे :-

- 1) बिना कार्य किये प्राप्त धन,
- 2) वगैर समझे खुशहाली,
- 3) चरित्र के बिना ज्ञान,
- 4) नैतिकता के बिना व्यवसाय,
- 5) मानवता के बिना विज्ञान,
- 6) त्याग के बिना धर्म और,
- 7) सिद्धांत विहीन राजनीति को पाप की संज्ञा दी थी |

आज गाँधी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारा समाज और सम्पूर्ण राष्ट्र गाँधी की नैतिकता की जरूरत महसूस कर रहे हैं | उनका सत्याग्रह केवल ब्रितानी हुकुमत के गलत एवं दमनकारी नीतियों के विरुद्ध नहीं था बल्कि सत्याग्रह लोगों को पूर्णतः स्वच्छ और परिपक्व बनाने की एक रचनात्मक प्रक्रिया थी |

जहाँ तक 'ग्राम स्वराज'(ग्राम पंचायत राज व्यवस्था) की बात है, तो वे हिन्द स्वराज में "ग्राम स्वराज" की कल्पना किये थे और कहा था कि मेरे सपनों के 'ग्राम स्वराज' में एक पूर्णतः स्वतंत्र, स्वायत्त, सक्षम, एवं स्वावलंबी इकाई के रूप में गाँव को विकसित करने का शाश्वत प्रयास है | 1916 में लखनऊ महाधिवेशन में उन्होंने किसानों को सृजनात्मक क्षमता विकसित करने पर जोर देते हुए कहा था कि हमें (किसानों को) अपनी जवाबदेही को समझाना होगा | 'ग्राम पंचायत' हमारे प्रजातंत्र की वह छोटी इकाई होगी, जहाँ से आयोजन का कार्य नीचे से ऊपर की ओर जायेगा, न कि ऊपर से नीचे की ओर थोपा जायेगा |

साथ-ही-साथ प्रो० मिश्रा ने यह भी कहा कि आज का ग्राम पंचायत गाँधी के पंचायती-राज-व्यवस्था से बिलकुल भिन्न है | वास्तविक स्वराज की बात करते हुए प्रो० मिश्रा ने कहा कि गाँधी न केवल एक सफल सामाजिक शिल्पी थे बल्कि एक सफल अन्वेषक भी थे | "My Experiment with the Truth" का प्रकाशन उनके द्वारा किये गये अन्वेषणों का एकमुश्त दस्तावेज है |

'ग्राम स्वराज' के माध्यम से वे भारत के ग्रामांचल, जहाँ भारत की आत्मा निवास करती है, में "सादा जीवन उच्च विचार" के संकल्प के साथ स्वच्छता, नैतिकता और सामान्यता (Simplicity) ग्राम्य जीवन की मौलिक विशेषता बने, की स्थापना का एक बड़ा सपना देखा था | यदि हम गाँधी के अर्थशास्त्र पर दृष्टिपात करें तो 1) Dignity of Labor, 2) Indigenous Product, 3) Balance between Demand(Consumption) and Supply of means आदि के संबंध में गाँधी के मौलिक विचारों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गाँधी मानव जीवन के महत्व को केंद्र में रखकर 'ग्राम स्वराज' या 'ग्राम-पंचायती-राज-व्यवस्था' की स्थापना चाहते थे | इसके मूल में समतामूलक समाज की स्थापना मौलिक उद्देश्य था |

उनकी मान्यता थी कि जब तक 'ग्राम पंचायती-राज-व्यवस्था' सुदृढ़ और पूर्णरूपेण लागू नहीं की जायेगी, तब तक समतामूलक समाज की स्थापना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो पायेगी |

लेकिन वर्तमान समय में हम पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण कर उपभोक्तावाद के दलदल में इस कदर फँस गये हैं कि उससे बाहर निकलने का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है | उपभोक्तावाद का नशा इतना गहरा है कि नैतिकता का पूर्णरूपेण हास हो गया है, जिसके कारण हमारे देश में आज सरकार और किसानों के बीच पिछले ग्यारह माह से गतिरोध बना हुआ है | किसान आत्महत्या कर रहे हैं |

इन सभी समस्याओं का उपचार गाँधी के ग्राम-स्वराज की सही अर्थों में स्थापना में है |



व्यवहार में अपनाया गया एक कण भी उपदेश के एक टन से कहीं ज्यादा कीमती है |

अध्यक्षीय उद्बोधन

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 152वें जयंती के अवसर पर राजकीय डिग्री महाविद्यालय, बगहा (बड़गांव), बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय की राजकीय इकाई द्वारा आयोजित इस वेब संगोष्ठी में सर्व प्रथम हम स्वागत करते हैं परमादरणीय प्रो० डॉ हनुमान पाण्डेय जी, माननीय कुलपति, बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, का जिनके स्नेहासिक्त मार्गदर्शन, ओजस्वी अभिभावकत्व एवं विद्वतापूर्ण परामर्श से हमारा यह छोटा-सा महाविद्यालय आप सबों के साथ इस वेब संगोष्ठी का आयोजन कर सका है। हमारे अतिथि सह मुख्य वक्ता प्रो. डॉ अनिल दत्त मिश्रा, महान गाँधीवादी चिन्तक एवं देश और दुनिया के विभिन्न गांधियन अध्ययन केन्द्रों में विभिन्न दायित्वों के साथ कार्य कर चुके सामाजिक चिन्तक बिहार के सपूत का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। हमें खुशी हो रही है, हमारे अभिभावक तुल्य प्रो. परमानन्द सिंह, पूर्वनिदेशक गांधियन अध्ययन केंद्र, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, जो गांधियन अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं गांधियन साहित्य में निपुण एवं गाँधीवादी सोच के सफल पक्षकार हैं, का आज के मौके से स्वागत करते हुए अपार हर्ष और उल्लास का अनुभव हो रहा है। आज के इस पावन अवसर पर हम स्वागत करते हैं, उन तमाम प्राध्यापक बन्धुओं, विद्वान मित्रों, शोधार्थियों, समाजकर्मियों एवं छात्र-छात्राओं का जिन्होंने इस वेब संगोष्ठी में हमारे साथ जुड़कर न केवल हमारा उत्साह वर्धन किया है, बल्कि राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची संवेदना भी अर्पित की है। अंत में लेकिन किसी भी तरह से कम नहीं, हम स्वागत करते हैं, समाचार माध्यमों से जुड़े मित्रों का जिनके सहयोग से बंद कमरे में आयोजित यह कार्यक्रम देश और समाज के कोने-कोने तक पहुँच पाता है।

प्रस्तुत वेब संगोष्ठी के विमर्श का विषय

“गाँधी और ग्राम स्वराज (पंचायती राज व्यवस्था का महत्व एवं भूमिका)” रखा गया है। जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि इस वक्त बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। हमें यह भी ज्ञात है कि आज़ाद भारत में सही अर्थों में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी ने अपने सपनों के भारत की कल्पना को साकार करने में ग्राम पंचायत राज व्यवस्था के महत्व एवं भूमिका को रेखांकित किया था। उनकी मान्यता थी कि भारत के प्रजातान्त्रिक व्यवस्था का ग्राम पंचायत राज प्रशासनिक प्रबंधन का वह सूक्ष्म इकाई के रूप में स्थापित होगी, जिसमें न्यूनतम लोगों को सामिल किया जायेगा, ताकि पंचायत स्तर के सभी निर्णयों में पंचायत के सभी व्यस्क सदस्यों की सार्थक सहभागिता सुनिश्चित हो सके। पंचायत भारतीय गणतंत्र का एक ऐसा स्वतंत्र, स्वावलंबी, स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर स्वशासित इकाई के रूप में स्थापित होगी, जिसे पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण ज्ञान होगा, साथ-ही-साथ उन संसाधनों के बेहतर प्रयोग से पंचायत की मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की आपूर्ति, वितरण एवं उपभोग से सम्बंधित निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। किन्तु वह भारतीय गणराज्य के साथ श्रेणीबद्ध रूप से सूचिबद्ध होगा।

प्रजातान्त्रिक विकेंद्रीकरण का महत्व

प्रजातान्त्रिक विकेंद्रीकरण में राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी को अटूट विश्वास था, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि वह सत्य, अहिंसा एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता पर आधारित होती है। वे इसे पंचायती राज या ग्राम स्वराज की संज्ञा देते थे। वे प्रत्येक गाँव को एक सूक्ष्म जनतंत्र जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में स्वावलंबी एवं स्वतंत्र होते हुए भारतीय जनतंत्र के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से सूची बद्ध हो। वे चाहते थे कि राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। वे सच्चे प्रजातंत्र को स्वराज के रूप में परिभाषित करना चाहते थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उनका अभिप्राय यह था

कि व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा आत्मनिर्भर समाज का निर्माण इस प्रकार करे कि उसमें सबों को एक सामान रूप से सहभागिता का अवसर प्राप्त हो।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत-राज-व्यवस्था गाँधी के ग्राम-स्वराज की एक ऐसी व्यवस्था थी, जिसमें जमीनी स्तर पर आर्थिक एवं राजनीतिक प्रजातंत्र का निर्माण हो सके। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सम्पूर्ण भारत-भ्रमण के क्रम में गाँधी ने जिस भारत का दर्शन किया, उस भारत को आजादी के पश्चात स्वावलंबी, स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर बनाकर ही एक सशक्त, सक्षम एवं सामर्थ्यवान प्रजातान्त्रिक गणराज्य का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ग्राम्य व्यवस्था “सादा जीवन उच्च विचार” के मान्यता पर आधारित व्यवस्था है। उनका मत था कि ग्राम पंचायत एक ऐसी व्यवस्था पर आधारित होती है, जिसमें जीवन स्तर की एक न्यूनतम मानक निर्धारित होती है और जो सबको प्राप्त होता है। एक व्यक्ति को अपने अवसर के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को उच्चतम स्तर तक विकसित करने की पूरी छूट होती है। ऐसी व्यवस्था से जहाँ एक ओर राज्य-सत्ता का हास होता है, वहीं दूसरी ओर प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। उनके मुताबिक सत्ता का संकेन्द्र कभी भी बगैर पर्याप्त बाह्य ताकत के एक दीर्घ-जीवी व्यवस्था के रूप में विकसित नहीं हो सकती है।

उनके मतानुसार ग्राम पंचायत राज का प्रबंधन वार्षिक स्तर पर चयनित पांच जन-प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। उस प्रबंधन के केंद्र में वैयक्तिक संतुष्टि को रखा गया है। अर्थात् पंचायत के चयनित प्रतिनिधियों द्वारा पंचायत की आवश्यकताओं, जनसामान्य की जरूरतों एवं उच्च आकांक्षाओं की संतुष्टि हेतु सामूहिक निर्णय द्वारा कार्यों का चयन कर उसका क्रियान्वयन किया जाना है। जैसे ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, कृषि उत्पादों का विक्रय इत्यादि का नियोजन करना।

विकेंद्रीकृत व्यवस्था में ग्राम्य इकाई

गाँधी के ग्राम स्वराज में इस बात पर अधिक जोर दिया गया है कि आर्थिक अथवा राजनैतिक शक्तियों के संकेन्द्रण से “Participatory Democracy” के आवश्यक तत्वों को शिथिल कर दिया जाता है। उक्त शक्तियों के संकेन्द्रण को रोकने के उद्देश्य से गाँधी ने ग्राम्य स्वराज के निर्माण की वकालत की थी। जो न केवल एक राजनीतिक इकाई के रूप में बल्कि एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई के रूप में भी क्रियाशील होगी। गाँव विकेंद्रीकृत प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई होगी और इस सूक्ष्म इकाई में गाँव के प्रत्येक व्यस्क नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक गाँव के किसी भी आयोजन एवं प्रयोजन में निर्भीकता के साथ सहभागिता या सम्मिलित होने की पूरी स्वतंत्रता होगी। अर्थात्, गाँव गाँधी के “Participatory Democracy” का एक सफल प्रयोगशाला होगा। जिस प्रयोगशाला में तकनीकी ज्ञान से निपुण, दक्ष एवं पूर्णरूपेण विकसित नागरिकों की कोई कमी नहीं होगी।

गाँधी के विकेंद्रीकृत व्यवस्था में राज्य सत्ता के सामानांतर एक ग्राम्य सत्ता के निर्माण का सपना था। उनका मानना था कि स्थानीय संसाधनों से अनिवार्यतः पंचायत को विकसित होने की क्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन पंचायत में उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित कर विकास परियोजनाओं में प्रयुक्त करने का निर्णय ग्राम-सभा के बैठक में लिया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा है “**Democracy becomes an impossible thing until power is shared by all, but let not democracy degenerate into Mobocracy**”।

प्रत्येक गाँव एक सूक्ष्म गणतंत्र के रूप में क्रियाशील होकर स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याओं, आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने में उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग के निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र है। गाँधी जी ने ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक समग्र भारतीय पंचायत का प्रस्ताव देकर संविधान द्वारा हर स्तर पर प्रशासनिक शक्ति के आवंटन का प्रावधान किया था। ये गाँव न केवल स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, बल्कि राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी निर्णय लेने को सक्षम हो।

पंचायती राज व्यवस्था

गाँधी जी का विचार था कि पंचायती-राज-व्यवस्था आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन और समाज के निर्णयों एवं कार्यक्रमों का वास्तविक रूप से क्रियान्वित करने का एक सक्षम इकाई के रूप में कार्य करेगी। इस व्यवस्था के माध्यम से हम देश के सबसे छोटे (पंचायत प्रतिनिधि) एवं सबसे बड़े (सांसदों) का एक समान रूप से सम्मान कर सकेंगे।

लेकिन वास्तविकता इससे परे है। ग्राम पंचायत व्यवस्था सरकार के सूक्ष्म इकाई के रूप में कार्यरत तो है, किन्तु महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ता है, जिससे गाँधी के सपनों के ग्राम-स्वराज की कल्पना अधूरी रह जाती है।

भारत में पंचायती राज-व्यवस्था के विकास की नीतियाँ

गाँधी के ग्राम स्वराज (ग्राम पंचायत) की अवधारण को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जनवरी 1957 में बलवंत राय समिति का गठन किया, जिसने अपने अध्ययन के आधार पर 1958 में पूरे देश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश से सम्बंधित रिपोर्ट जमा किया। फिर 1992 में 73वें संविधान संसोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को व्यापक रूप देते हुए उसके अधिकार और कर्तव्य का विस्तार कर अधिक शक्तिशाली बनाया गया।

फिर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम सभा को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाने का प्रावधान किया ताकि गांवों के आर्थिक-सामाजिक विकास का प्रयास पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित हो सके।

इस सम्बन्ध में वर्ष 2009-10 को ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाया गया और पंचायती-राज-व्यवस्था के कार्यों को सामाजिक अंकेक्षण से जोड़ा गया। इस पूरी व्यवस्था को अधिक-से-अधिक प्रभावशाली बनाने में ग्राम सभा को केन्द्रीय महत्व प्रदान दिया गया।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायती राज मंत्रालय की 1996 के रिपोर्ट के अनुसार यह स्वतः प्रमाणित होता है कि गाँधी के ग्राम स्वराज का सपना आज भी अधूरा है। बलवंत राय समिति के रिपोर्ट के अधार पर 73वें संविधान संसोधन 1992 एवं पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा यद्यपि ग्राम पंचायत को अधिक कारगर और प्रभावी बनाने का उपाय किया गया, लेकिन आज 75 वर्षों के बाद भी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की अनदेखी कर राजनीतिक शक्तियों के संकेन्द्रण का एक उदहारण बन कर रह गया है।

02 अक्टूबर 2021 को आयोजित विमर्श के आधार पर ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं:-

- 1) बिहार में अभी ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का आम चुनाव चल रहा है | विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर धनबल, बाहुबल और अन्य हथकंडे प्रभावी है | अतः चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पादित कराने का प्रयास किया जाना चाहिए | इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन को सक्रिय एवं संवेदनशील होना आवश्यक है |
- 2) सभी चयनित प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से एक साप्ताहिक प्रशिक्षण दिये जाने का प्रबंध किया जाना चाहिये | क्योंकि सर्वाधिक जनप्रतिनिधि अशिक्षित एवं सार्वजनिक दायित्वों के निर्वहन के प्रावधानों से अनभिज्ञ होते हैं | प्रशिक्षण कार्य को पूरी मुस्तैदी एवं सतर्कता के साथ आयोजित किया जाना चाहिए
- 3) पंचायती राज-व्यवस्था में फण्ड का आवंटन प्रखंड स्तर पर तकनीकी सहायकों के अनुमोदन एवं वित्तीय पदाधिकारियों के आदेश से पंचायत सचिव द्वारा किया जाता रहा है | पिछले अनुभव बताते हैं कि पंचायत सचिव की भूमिका मालिक की हो जाती है, और वही से जनहित की अनदेखी प्रारंभ होती है | उदहारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री की सर्वाधिक लोकोपयोगी योजना “हर घर नल का जल” पूर्णरूपेण भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गई | अतः पंचायत स्तर पर किसी भी जनोपयोगी योजनाओं के क्रियान्वयन में सभी प्रशासनिक तकनीकी विशेषज्ञों एवं वित्तीय अधिकारियों के दायित्व निर्धारित किया जाय और कार्य की गुणवत्ता को शत-प्रतिशत परिभाषित किया जाय |


प्रत्येक योजना के चयन, क्रियान्वयन एवं रखरखाव का निर्णय ग्राम सभा द्वारा वास्तविक रूप में किये गये बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णयों के आधार पर हो |

- 4) ग्राम सभा को सैद्धांतिक रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है | व्यवहार में वह क्रियाशील नहीं हो पाया है | पिछले अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्राम-सभा की बैठक आहूत किये वगैरे सभी नागरिकों से उनके घर-घर जाकर व्यक्तिगत स्तर पर हस्ताक्षर ले लेते हैं और जनहित के आधार पर नहीं, बल्कि स्वहित के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों की प्राथमिकता सूची तैयार कर ली जाती है, जिससे सार्वजनिक धनराशि का अपव्यय तो होता ही है, गाँव के गरीब लोगों का भी अहित होता है |
 - a) अतः ग्राम-सभा की बैठक-पंजी अनिवार्यतः पंचायत सचिव के पास संरक्षित रखने का प्रावधान किया जाय |
 - b) ग्राम सभा की बैठक के कम से कम एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को विधिवत लिखित सूचना दी जाय |
 - c) बैठक के दिन समय से पूर्व पंचायत सचिव द्वारा बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश किया जाय |
 - d) बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में स्थानीय थाना प्रभारी के साथ सम्पूर्ण वीडियोग्राफी के साथ किया जाय |
 - e) बैठक में विमर्श के मुद्दों का चयन सूचना में अंकित हो और उसी के अनुरूप निर्णय लिया जाय |
 - f) यदि निर्णय में बहुमत का अभाव हो तो उक्त मुद्दे पर गुप्त मतदान कराया जाय |
 - g) बैठक की पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाय |

- 5) ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव पर सक्षम तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अनुमान पत्रकों के आधार पर कार्य संपादन से पूर्व मेटेरिअल आपूर्ति के वक्त ग्राम-सभा सदस्यों से देख-रेख का आग्रह किया जाय तथा अनुमान पत्रक कार्यस्थल पर प्रकाशित किया जाय |
 - a) कार्य संपादन के वक्त कम से कम 10% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य किया जाय |
- 6) ग्राम सभा के सदस्यों की एक सूची पंचायत सचिव द्वारा जारी किया जाय |
- 7) ग्राम सभा के सूचीबद्ध सदस्यों को उनके अधिकार एवं कर्तव्य की पूरी और विस्तृत जानकारी दिलाने के लिए वार्ड स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय, जिसमें सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य की जाय |

उक्त सुझावों पर गम्भीरता से विचार पर यथोचित प्रशासनिक निर्णयों के आधार पर ग्राम पंचायती-राज-व्यवस्था को अधिक से अधिक कारगर और प्रभावी बनाकर समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है ||





AM

VoLTE 4G+ VoLTE



03-10-2021

4/14



गांवों का अंधाधुंध शहरीकरण खतरनाक : डॉ. अनिल

- गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बगहा की राष्ट्रीय वेबिनार में जुटे देश के अनेक विश्वविद्यालयों के विद्वान
- आजादी के 75 वर्ष बाद भी गांधीजी के चिंतन दर्शन की अनदेखी पर चिंतकों ने उठाये सवाल

प्रतिनिधि, बेतिया

गांवों का देश कहे जाने वाले भारतवर्ष का अंधाधुंध शहरीकरण खतरनाक है. इस प्रकार की सोंच और योजनाओं को अपनाने से महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' का लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता. ग्राम्य जनजीवन में उपयोगी बना करके ही गांधीजी के सपनों के ग्राम स्वराज स्थापित करना संभव होगा. उक्त बातें प्रख्यात गांधीवादी चिंतक प्रो. डॉ. अनिल दत्त मिश्रा ने कही.

वे शनिवार की शाम बगहा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बड़गांव में गांधी जयंती के अवसर पर 'गांधी के ग्राम स्वराज का औचित्य' विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा की आजादी के बाद देश ने सत्ता तंत्र और सरकारों ने सही अर्थों में गांधी जी और उनके दर्शन-चिंतन को अस्वीकार कर दिया है. केवल गांधीजी की समाधी पर फूलमाला चढ़ाने या दीप जलाने को उनके प्रति अपने कर्तव्य का इतिश्री मानते रहे हैं. डॉ. मिश्रा ने कहा कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की स्थापना के माध्यम से समाज के असहाय बेजुवानों को चुबान और शक्तिहीन लोगों को शक्ति प्रदान करना चाहते थे. अपने ग्राम स्वराज नारे के माध्यम से उन्होंने भौतिकवादी

नियोजन को मानववादी का स्वरूप देने का सपना देखा था. कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गांधी अध्ययन केंद्र के पूर्व निदेशक प्रो. परमानन्द सिंह ने कहा की गांधी जी के ग्राम स्वराज मूलतः समता मूलक समाज के निर्माण का एक बड़ा प्रयास था. लेकिन आजादी के 75 वर्षों बाद भी आज हमें पता चलता है कि हमारा देश गांधी के सपनों के ग्राम स्वराज से कौसों दूर है.

इससे पूर्व कार्यक्रम का विषय प्रवेश कराते हुये कॉलेज के समाज शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. रमेश सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के पक्षधर थे. प्राचीन भारतीय समाज की आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था के आधार पर आजाद भारतीय ग्राम्य समाज को सजाना और बसाना चाहते थे. उनका 'ग्राम्य स्वराज' का सपना इस भावना पर आधारित था. कार्यक्रम के अध्यक्ष व कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रविन्द्र कुमार चौधरी ने कहा की गांधी जी का ग्राम स्वराज, प्रजातंत्र का एक ऐसा सूक्ष्म इकाई के रूप में स्थापित ग्राम्य इकाई था. जिसे 'पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी' के एक प्रयोगशाला के रूप में आज भी स्थापित किया जा सकता है. स्वागत भाषण आयोजन समिति की सचिव व मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. रेखा श्रीवास्तव ने व धन्यवाद ज्ञापन भूगोल विभाग के प्राध्यापक डॉ.नेहाल अहमदने किया. संगोष्ठी में डॉ. मदन बनिक, प्रो. रामेश्वर प्रसाद सिंह, डॉ. सतीश कुमार, नेहा चौधरी, प्रो. नंदलाल, डॉ. दिलीप कुमार आदि शोध कर्मी व समाज कर्मियों की सक्रिय भागीदारी रही.

स्नातक पार्ट वन की प आज से, मौसम से परे

मुजफ्फरपुर. स्नातक (सत्र 22) पार्ट वन की परीक्षा करीब 10 दिनों बाद सोमवार से शुरू हो रही 2020 की परीक्षा है, जो पिछले कोरोना काल में नहीं हो सकी. एक अक्टूबर से शेड्यूल जारी है लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के व दिन की परीक्षा स्थगित करनी पर मौसम ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कॉलेज, एमडीडीएम कॉलेज व कॉलेज के परिसर में बारिश व लगा है, जिससे परीक्षार्थि परेशानियों का सामना करना पड़े शहर की प्रमुख सड़कों पर भी प रहा है. रविवार को दोपहर बाद के लिए मौसम साफ हुआ, परीक्षार्थियों की चिंता सोमवार के के मिजाज को लेकर है. जि आसमान में बादलों का डेरा : उससे परीक्षार्थी डरे हुए हैं. स्नात वन परीक्षा के लिए मुजफ्फरपुर पांच जिलों में 38 केंद्र बनाये मुजफ्फरपुर में 12 केंद्रों पर परीक्षा अन्य केंद्र वैशाली, सीतामढ़ी, मु व बेतिया जिले में बनाये गये हैं. : पर 70 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे. अभी चार व पांच केंद्रों को परीक्षा होगी. इसके बाद 26 अक्टूबर को. 26 अक्टूबर तक का कार्यक्रम घोषित है. एक अक्टूबर की निरस्त परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी नहीं किया गया की ओर से सभी केंद्रों पर कोऑर्डिनेटर की तैनाती की परीक्षा नियंत्रक डॉ. संजय कुमार रविवार को परीक्षा के सकुशल रूप को लेकर सभी केंद्राध्यक्षकों को ऑनलाइन मीटिंग की और तैयारी जानकारी ली. बताया कि सभी केंद्रों को ऑर्डिनेटर नियुक्त किये

महात्मा गाँधी के प्रमुख कथन

- खुद वो बदलाव बनिये जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं |
- आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए | मानवता सागर के समान है | यदि सागर की कुछ बूंदे गन्दी हैं तो पूरा सागर गन्दा नहीं हो जाता |
- खुद को खोजने का सबसे अच्छा उपाय है, खुद को दूसरों की सेवा में खो दो |
- जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है |
- एक विनम्र तरीके से, आप दुनिया को हिला सकते हैं |
- आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अँधा बना देगी |
- शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है |

